Title : Need to conduct a CBI inquiry into the alleged fabricated cases involving common people of Jhansi, Uttar Pradesh.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोद्य, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से अवगत करवाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के झांसी जनपद में समाजवादी पार्टी द्वारा वहां के जिला प्रशासन से मिलकर वहां के गरीबों को, किसानों को, अध्यापकों को, उद्योगपतियों को ऐसे संगीन केसों में फंसाया जा रहा है, धारा 307 के केस में फंसाया जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : This is a State matter. It is for the UP Government about transferring these cases to the CBI.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्माः थाना ऐरच में अपराध संख्या 150/2005 में धारा 394 के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया, बिलकुल फर्जी मुकदमा बनाया गया। इनकी फरियाद कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे बचने के लिए वे इलाहबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन अब उन्हें धारा 307 में सम्मन करके फंसाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही झांसी जनपद के नवाबाद थाने में अपराध संख्या 635/2005 में सरकार बनाम श्री बाबू लाल तिवारी, जो कि डिग्री कालेज में प्रोफेसर हैं, को 307 लगाकर, आर्म्स एक्ट के तहत फंसाकर जेल भेज दिया गया है। हमारे जनपद में समाजवादी पार्टी का जो व्यक्ति साथ नहीं दे रहा है उसे ऐसे संगीन मामलों में फंसाया जा रहा है या उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिल कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जो मामले मैंने आपके सामने रखे हैं, उनकी सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि वहां के अधिकारियों को यह मालूम पड़े कि झूठे मामलों की सीबीआई जांच भी हो सकती है, इससे उनके मन में कानून का दुरुप्योग करने के प्रति भय पैदा होगा।

MR. CHAIRMAN : The House now stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

19.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, August 18, 2005/Sravana 27, 1927 (Saka)